बेगमबाग में 'अब तक 56' बचे मकानों पर फिर पहुंचेगा बुलडोजर

- विकास प्राधिकरण में लग रहा जमावड़ा
- तमाम रहवासियों के स्टे फिर हुए खारिज
- सिक्सलेन सड़क और ब्रिज के काम आएगी जमीन

नवभारत न्यूज

उज्जैन. विकास प्राधिकरण ने महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग कॉलोनी में लीज नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अप्रैल 2026 में 16 से अधिक मकान, होटल और गेस्ट हाउस तोड़े गए हैं. यह ज़मीन 30 साल की लीज पर थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और आवासीय जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. अब एक बार फिर यूडीए यहां कार्रवाई करने वाला है.

विकास प्राधिकरण लगातार बेगम बाग में मकान तोड़ने की जो कार्रवाई कर रहा है, उसमें रिक्त हुई जमीन चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण एवं विकास सहित सिंहस्थ में साधु-संतों व श्रद्धालुओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए काम में आएगा.

सिक्स लाइन सड़क और ब्रिज- बेगमबाग में सिक्स लेन सड़क और सिक्स लाइन ब्रिज भी यहां से निकलेगा. कुल मिलाकर महाकाल मंदिर के आसपास की जो जगह है वह श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए और स्थानीय रहवासीओ के लिए मुफीद बनाई जा रही है ताकि पार्किंग हो सके, आवागमन हो सके. गाड़ियां नहीं फंसे, जाम नहीं लगे, और महाकाल मंदिर से लेकर अन्य मंदिर तक पहुंचना आसान होगा.

अवैध दुकान होटल का निर्माण- बेगमबाग में लोगों ने वहां पर मकान की जगह दुकान और होटल बना लिए. ऐसे में यूडीए लीज का उल्लंघन किया गया और अब जबकि वहां पर सिंहस्थ के अंतर्गत चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है ऐसे में इस खाली जगह का उपयोग चौड़ीकरण के लिए सिक्स लेन सड़क के लिए सिक्स लाइन ब्रिज के लिए किया जा रहा है.

अब तक 56 पर कार्रवाई

कुल मिलाकर विकास प्राधिकरण ने जो 56 मकान अब तक तोड़े हैं उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है, जल्द ही यहां पर एक बार फिर जेसीबी बुलडोजर विकास प्राधिकरण लेकर पहुंचेगा और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी. कितने मकान तोड़े जाना है कितने मकान के स्टेट खारिज हुए हैं, इसका अवलोकन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी से लगाकर विधि अधिकारी मनीष जोशी और उज्जैन के उन वकीलों द्वारा किया जा रहा है, जो यूडीए की पैनल में शामिल है. ऐसे में जल्द ही उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी.

कोर्ट से नहीं मिली राहत

विकास प्राधिकरण ने जिन लोगों को पूर्व में मकान दिए थे, उन्होंने लीज का उल्लंघन किया ऐसे में लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया और लीज समाप्त कर दी गई, ऐसे में जो रहवासी है वह अलग-अलग विभिन्न कोर्ट गए, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और जिन-जिन लोगों के स्टे खारिज होते जा रहे हैं वहां वहां उज्जैन विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है.

देवास कलेक्टोरेट में फर्जीवाड़ा : चार कर्मचारियों पर केस दर्ज, जांच तेज

आदिवासी भूमि से जुड़े फर्जी आदेशों का खुलासा, प्रशासन में मचा हड़कंप

देवास. जिले के कलेक्टोरेट कार्यालय में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार्यालय में पदस्थ चार कर्मचारियों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के माध्यम से आदिवासी जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितताएं कीं. मामले के उजागर होने के बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर अवैध तरीके से आदेश जारी किए.

शिकायत मिलने पर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि होने पर पुलिस में केस दर्ज कराया गया. पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि इस पूरे मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है. प्रशासन द्वारा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है. जिला प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा.

पटवारी ने की किसानों को तत्काल राहत की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 15 अप्रैल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि किसानों की मौजूदा दुर्दशा केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सरकार की कथित किसान हितैषी नीतियों की हकीकत को उजागर करती है.

पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कई जिलों, विशेषकर विदिशा से चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल विदिशा जिले में ही 6,437 मामलों में किसानों की फसलें 'सैटेलाइट सर्वे' में फेल बताई गई हैं, जबकि किसान गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलें उगा रहे हैं. पोर्टल पर गलत डेटा एंट्री के कारण अनेक किसान उपार्जन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ई-उपार्जन प्रणाली में स्लॉट बुकिंग के दौरान किसानों को यह संदेश मिल रहा है कि उनकी फसल 'सैटेलाइट द्वारा सत्यापित नहीं है', जिससे वे अपनी उपज बेचने में असमर्थ हो रहे हैं. इसका सबसे अधिक असर छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ा है, जिनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है.

पेज एक का शेष

बेटियों ने किया टॉप...

सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा है. कक्षा 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. तो वहीं कक्षा 12वीं में भोपाल की बेटियों में खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा भोपाल ने मेरिट सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है. झाबुआ जिला 93.23 प्रतिशत के साथ टॉप पर : जिलों के प्रदर्शन की बात करें तो झाबुआ जिला 93.23 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर रहा है. अनूपपुर जिला भी 93.85 प्रतिशत के साथ अव्वल जिलों में शामिल है. लेकिन राजधानी भोपाल इस बार भी टॉप 20 जिलों की सूची से बाहर रहा.

वहीं भोपाल जिले के 12वीं में 76.01 प्रतिशत और 10 वीं में 73.42 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे. हालांकि 12वीं की परीक्षा में भोपाल की दो छात्राओं ने प्रदेश भर में टॉप किया है, जिससे भोपाल का स्थान राज्य की मेरिट सूची में ऊपर रहा है. इस बार भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा. छात्राओं का पास प्रतिशत 77.52 प्रतिशत रहा, जबकि छात्रों का 69.31 प्रतिशत दर्ज किया गया. सरकारी स्कूल आगे, परिणाम 76.80 प्रतिशत: शासकीय स्कूलों का परिणाम 76.80 प्रतिशत रहा, जो निजी स्कूलों के 68.64 प्रतिशत से अधिक है. इससे सरकारी स्कूलों के बेहतर प्रदर्शन का संकेत मिलता है. टॉपर्स में छात्राओं का दबदबा: मेरिट लिस्ट में 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, जिनमें 235 छात्राएं और 143 छात्र शामिल हैं.

पूरक की जगह द्वितीय अवसर परीक्षा: इस वर्ष पूरक परीक्षा की जगह द्वितीय अवसर परीक्षा का प्रावधान किया है. मुख्य परीक्षा में फेल, अनुपस्थित या अंक सुधारने वाले छात्र 7 मई 2026 से होने वाली इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. 2.89 लाख छात्र फेल: कुल 2 लाख 89 हजार 693 छात्र फेल घोषित किए गए हैं, जबकि परीक्षा के दौरान 47 नकल के मामले सामने आए थे.

अनुराग जैन सीएस का पद छोड़ेंगे, नीति आयोग जाएंगे

गुड लिस्ट में जिन अफसरों को शुमार किया जाता है, उनमें जैन का नाम भी शामिल है. इसलिए ही उन्हें केंद्र में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गति शक्ति प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसमें सड़क, रेल, पोर्ट के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े देश के बड़े प्रोजेक्ट को मॉनीटर करने के साथ ही उनसे जुड़े कामों को तेज गति से पूरा कराने की जिम्मेदारी निभाई जाती है.

एक वर्ष का एक्सटेंशन पाने वाले प्रदेश के पहले सीएस हैं जैन : प्रदेश में अनुराग जैन से पहले मुख्य सचिवों को 6 माह का एक्सटेंशन मिलता रहा है. उसमें एक बार और 6 माह तक की बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन जैन प्रदेश के पहले सीएस हैं, जिनको एक बार में ही एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया था. तत्कालीन मुख्य सचिव वीरा राणा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सितंबर 2024 को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था. 3 अक्टूबर 2024 को उन्होंने प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव का दायित्व संभाला था. उनका कार्यकाल अगस्त 2025 को समाप्त हो रहा था, तब मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनाए जाने की कवायद चल रही थी, तब अचानक ही उन्हें एक वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया गया. इस तरह वे अगस्त 2026 तक प्रदेश के मुख्य सचिव बने रह सकते हैं. लेकिन अब वे इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं.

डॉ. राजौरा के साथ, पंकज अग्रवाल और अशोक बर्णवाल भी हैं दावेदार

अनुराग जैन के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव कौन होंगे? इसे लेकर भी अब गुणा- भाग का दौर लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बेहतर बॉडिंग के चलते एसीएस डॉ. राजेश राजौरा मुख्य सचिव की रेस में एक बार फिर सबसे आगे हैं, यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो वे ही मुख्य सचिव बनेंगे, लेकिन यदि उनकी राह में कोई पेंच आया तो फिर विवेक अग्रवाल दूसरे क्रम पर हैं. वे अभी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं और सचिव ऊर्जा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. यदि 1992 बैच के अग्रवाल को सीएस बनाया गया तो फिर डॉ. राजौरा को मंत्रालय से बाहर भेजा जाएगा. तीसरे क्रम पर 1991 बैच के एसीएस अशोक बर्णवाल हैं. उन्हें हाल ही में वन विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग में भेजा गया है, लेकिन उनको लेकर जिस तरह के ताजा विवाद सामने आए हैं, ऐसे में उनकी संभावनाएं कमतर मानी जा रही है.

भारत की जनगणना 2027 CENSUS OF INDIA जनगणना से जन कल्याण

गृह मंत्रालय भारत सरकार सत्यमेव जयते

हमारी जनगणना, हमारा विकास
(जनगणना 2027 का पहला चरण)

भारत सरकार द्वारा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना आरंभ होने जा रही है
इससे पहले 15 दिनों की विशेष सुविधा दी जा रही है, जिसमें आप स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं

मैं हूँ प्रगति
मैं हूँ विकास

स्व-गणना (Self-Enumeration)
सरल और सुरक्षित डिजिटल सुविधा

कैसे करें स्व-गणना ?

1. आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाएँ
2. अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करें
3. अपना राज्य, जिला और स्थानीय विवरण चुनें
4. डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें
5. मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें
6. सबमिशन के बाद SE ID मिलेगी
7. SE ID सुरक्षित रखें
8. प्रगणक (Enumerator) आने पर SE ID दें
9. प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे

इसके लाभ
समय की बचत
सटीक जानकारी
तेज़ डेटा प्रोसेसिंग

याद रखें स्व-गणना एक विशेष सुविधा है
यदि आप स्व-गणना नहीं कर पाते हैं, तो चिंता न करें, निर्धारित अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे
आपकी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी

मध्य प्रदेश
स्व-गणना 16 से 30 अप्रैल
मकानसूचीकरण 1 से 30 मई

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी

CensusIndia2027

CBC19108/13/0013/2627

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60